(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3 उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं0. 04/2017-प्रतिपूर्ति उपकर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई, 2017

सा.का.नि. (अ)- केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उपधारा (1) के साथ पठित माल और सेवाकर (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, की धारा 9 की उपधारा (4) के साथ पठित माल और सेवाकर(राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम, की धारा 8 के अंतर्गत उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण माल और सेवाकर प्रतिपूर्ति उपकर से, किसी आपूर्तिकर्ता, जो पंजीकृत नहीं है, से केन्द्रीय माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 32 के उप-नियम (5) के अंतर्गत यथा निर्धारित ऐसे सेकेण्ड हैंड माल की बाह्य आपूर्ति के मूल्य पर सेकेण्ड हैंड माल की खरीद और बिक्री में सौदा करने वाले और माल और सेवा कर प्रतिपूर्ति उपकर अदा करने वाले किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए सेकेण्ड हैंडमाल की राज्यान्तर्गत आपूर्ति को छूट प्रदान करती है ।

[फा0सं0.354/136/2017-टीआरयू]

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार